

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/83950/SBL/SAMBHAL/549/CFO

दिनांक: 26-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NEW SATYAM ACADEMY RAMBHAGH ROAD KAITHAL GATE CHANDAUSI** (भवन/ प्रतिष्ठान का नाम) पता **0,RAMBHAGH ROAD CHANDAUSI,CHANDAUSI** तहसील - **CHANDAUSI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.47 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8080.93 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **NEW SATYAM ACADEMY RAMBHAGH ROAD KAITHAL GATE CHANDAUSI** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-05-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PUNEET CHAUDHARY** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-05-2023** से **28-05-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** प्रश्रुत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखने, एवं भवन में विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित से प्राप्त करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। शासनादेश के अनुसार सैटबेक का निर्धारण सत्ताप्राधिकारी/नियतप्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र निर्मित स्थायी भवन हेतु निर्गत है। शासनादेश 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 तथा एफएसएसओ चन्दौसी की संस्तुति आख्या के आधार पर उक्त प्रमाण पत्र निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Krishna Kant Ojha

BDE88D5B82F9A790FE3FF488DC912ED060F0ADCD

29-05-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-05-2023

स्थान : SAMBHAL

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.